राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–24 (लो0सू0अ0)/2023–24
श्री आनन्द मोहन कुमार, गृह रक्षक, ग्रा0+पो0–हसनपुर पिपरा, थाना+जिला–अरवल–804402
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी–सह–पुलिस उपमहानिरीक्षक (मानवाधिकार)

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
16.05.2023	श्री आनन्द मोहन कुमार, गृह रक्षक, ग्रा0+पो0–हसनपुर पिपरा, थाना+जिला–अरवल–804402 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–05.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक–11.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–54F 106671 दिनांक–24.02.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री आनन्द मोहन कुमार ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–27.02.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी–सह–पुलिस उपमहानिरीक्षक (मानवाधिकार) को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–27.02.2023 की प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि कोई भी विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विभाग के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलकर्त्ता श्री आनन्द मोहन कुमार ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। 16/5/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	